कार्यालय कलेक्टर, जिला - नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

(आदिवासी विकास शाखा)

दूरभाष (कार्यालय)07781-252881, (फैक्स) 299047

Email-collector.assttw.narayanpur@gmail.com

//विज्ञापन//

क्रमांक/ 1633 /आ0वि0/भर्ती/2023-24 नारायणपुर दिनांक 16 /05/2023

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ,मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर ,दिनांक 03.05.2023 एवं कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. के पत्र क्रं./सा.स्था.3/भर्ती-24/ 2023/1096 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08.05.2023 के द्वारा ,कलेक्टर,(आदिवासी विकास शाखा) नारायणपुर के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किये जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) जिला नारायणपुर के पते में दिनांक 30.05.2023 सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।

रिक्तियों की संख्या पदनाम सहित प्रवर्गवार निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.पि.व.		अनारक्षित	
			म.	मुक्त	म.	मुक्त	म.	मुक्त	म.	मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	वाहन चालक	01	-	1	-	-	-	-	-	-
2	भृत्य नियमित	02	1	1	-	-	-	-	-	-

महत्वपूर्ण टीप :-

1. आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृध्दि की जा सकेगी।
2. उपरोक्त सभी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियाये माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
3. छ.ग. का मूल निवासी ही मान्य होंगे।
4. चयन हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा।

1. भर्ती हेतु योग्यता :-

1. वाहन चालक -

(अ) वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 4 ,वेतनमान - 5200-20200+1900

(ब) शैक्षणिक योग्यताएं -

अनिवार्य -
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्वमाध्यमिक शाला (कक्षा 8वीं) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण।
2. हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस) हो।
3. अनुभव को प्राथमिकता।

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

2. भृत्य नियमित -

अ) वेतनमान - वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 1 ,वेतनमान - 4750-7440+1300

(ब) शैक्षणिक योग्यताएं -

अनिवार्य - 1. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से (कक्षा 5वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

आयु सीमा -

अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश लागू होगें।

पात्रता की अन्य शर्ते :-

1. आवेदक का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिर्वाय है। पंजीयन विज्ञापन तिथि के पूर्व का होना चाहिए।
2. पद क्रमांक 01 के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी।
3. आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र ,शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ,स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्थाओं में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. भृत्य पद हेतु 20अंक अनुभव का जोड़ा जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय कार्यालय/संस्था का ही सक्षम अधिकारी (आहरण अधिकारी) द्वारा प्रदाय किया गया हो (1 वर्ष हेतु 4 अंक 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए 20 अंक)।
5. यदि आवेदक विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक- पृथक आवेदन निर्धारित प्रारुप में पेश करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा।
6. किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
7. चयन उपरात यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी एवं संबंधित अभ्यार्थी के विरुध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
8. कोई भी उम्मीदवार जिन्हें विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो,तो वह नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।
9. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
10. शासन से भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या अतिरिक्त शर्ते/निर्देश जारी किया जाता है, तो इस विज्ञप्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की भर्ती पर भी लागू होगा।

11. प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैद्य होगी।

12. दक्षता/ कौशल परीक्षा हेतु पृथक से तिथि एवं स्थान की सूचना उम्मीदवारों को दी जावेगी। दक्षता/कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

13. प्रत्येक आवेदक को चाहिए, कि वह विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होना चाहिए।

14. उपरोक्त नियुक्तियों में वित्त निर्देश 21/2020 के तहत परिवीक्षा अवधी में क्रमशः प्रथम वर्ष वेतनमान की न्यूनतम का 70 प्रतिशत , द्वितीय वर्ष 80, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा।

15. विज्ञापन से संबंधित समस्त जानकारी एवं आवेदन का प्रारुप कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिले के वेबसाइट http:// narayanpur.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
नारायणपुर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार